

निजी विश्वविद्यालयों पर लगाम की तैयारी...

एक गुरुजी दो जगह या डिग्री में फर्जीवाड़ा, पकड़ में आएंगे

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

rajasthanpatrika.com

जयपुर निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों से मोटी रकम वसूल कर फर्जी डिग्री देने और शिक्षकों की संख्या में घालमेल जैसे मामलों पर अब सरकार लगाम कस रही है। प्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालयों को अब अपने हर छात्र की परीक्षा, परिणाम का अलग अकादमिक रिकॉर्ड रखना होगा।

ऐसे ही शिक्षकों का रिकॉर्ड भी उनके आधार और पैन कार्ड के साथ ही संधारित होगा। ये सभी सूचनाएं न सिर्फ विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे, बल्कि इस पूरे रिकॉर्ड की प्रतिलिपि सरकार को भी मुहैया कराएंगे। निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने यह प्रावधान तय कर दिए हैं। निजी विश्वविद्यालयों की जांच के लिए मार्च में सरकार ने प्रो.एचडी चारण कमेटी का गठन किया था। इसकी सिफारिशों पर हाल ही उच्च शिक्षा विभाग ने इन विश्वविद्यालयों के नियमन के लिए निर्देश जारी किए हैं।

यह भी होंगे प्रावधान



■ प्रवेश की अंतिम तिथि सत्र की शुरुआत के साथ बतानी होगी। छात्रों का आधार के साथ रिकॉर्ड रखना होगा।

■ डिग्री प्रदान करने की अंतिम तिथि घोषित करनी होगी। डिग्रीधारकों का रिकॉर्ड सरकार को देना होगा।

■ सरकार के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के शिक्षक निजी विश्वविद्यालयों में शोध निदेशक नहीं बन पाएंगे।

बायोमेट्रिक हाजिरी, तीन माह में रिपोर्ट

नए प्रावधान सख्ती से लागू हुए तो अब प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एक भी शिक्षक कागजी नौकरी नहीं कर पाएगा। पैन और आधार जैसे यूनिक पहचान पत्र के साथ इनका

रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि निरीक्षण के समय उसकी सही पहचान हो सके। सरकार ने सभी निजी विश्वविद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है।

कुंडली से फर्जीवाड़े की निगरानी

कमेटी के अध्यक्ष प्रो.चारण के अनुसार हर छात्र की प्रवेश से लेकर डिग्री तक का रिकॉर्ड रखने से उसके एंट्री और एक्जिट प्वाइंट की निगरानी हो सकेगी। ऐसे में यदि

किसी छात्र ने चार वर्षीय कोर्स में प्रवेश लिया है तो पहले तो उसका हर साल का रिकॉर्ड होगा और चार वर्ष के पश्चात ही उसकी डिग्री अवार्ड हो सकेगी।